कार्यालय पत्र-

23/09/22

पत्रा० पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। वंतजार शोध तामिली पत्रा० आगामी दिनांक 19/10/22 को पेश हो।

19/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्र० पत्र उप०। पत्रावली पूर्व दिनांक 18/11/22 को पेश हो।

18/11/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी पक्षी / प्रतिपक्ष
[illegible] अधिकारी गुलाम/अन्य कार्य
[illegible] पूर्व आदेश अनुसार
7/1/23 को पेश हो

9/1/23

पत्रा० पेश। वकील अप्र० उप०। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से एड. खुरशीद नवाब उप०। पत्रा० वापसी जवाब व तामिली आगामी दिनांक 16/2/23 को पेश हो।

16/2

पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] / प्रतिपक्ष
[illegible] अधिकारी गुलाम/अन्य कार्य
[illegible] 12/4/23

12/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्र० पत्र उप०। वकील अप्र० पत्र इलवाद के विस्तारण तक अप्र० पत्रावान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थिगण को प्रा० पत्र T.S. पर कोई ऐतराज नहीं है। अतः प्रकरण में इलवाद के विस्तारण तक विवादित आराजियात सं० 2174/1308 रकबा 3.4128 है० वाके ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने

12/4/22
(राजेन्द्र कुमार (RS))

बनाम

व अन्तरण नहीं करने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के हवाले। शामिल दफ्तर हो।

निर्णय सुने जाने के पश्चात

सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर